

कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्ता।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०- 244 / 2016-17

वाद का प्रकारः— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
२२.१०.२०१०	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-०३ खा०म०निति-११९/८५/२३०८/रा० दिनांक:- ०३.०९.१९८५ एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-९१४/रा०, दिनांक:-०९.१२.११९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा..... ३६ थाना नं० ०९ खाता नं० ५५ खेसरा नं० १७४८ १७८०, १७८८ रकबा १०९। एकड़. की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या..... के पृष्ठ संख्या पर जमाबंदी रैयत मन ८५८।</p> <p>मुफ्त</p> <p>पिता/पति..... श्रीत्रिभुवन मुफ्त के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती' के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक ०३/११/२०२० को रखें।</p> <p>लेखापति एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्ता।</p> <p style="text-align: right;">R अंचल अधिकारी कर्ता।</p>	

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
04.12.2020 ^{२०}	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत मनसिद मुण्डा पिता मतियस मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप सरकारी लगान रसीद सं0 319487 वर्ष 1989-90 एवं 002862 वर्ष 2015-16 प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है,</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा इटठे, थाना नं0 09 के सर्वे खतियान में खाता सं0 55, प्लॉट सं0 1780,1778 गैरमजुरुआ खास दर्ज है। खाता सं0 55 गैरमजुरुआ खास सर्वे खतियान में प्लॉट 1748 दर्ज नहीं है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी II भाग I पृष्ठ सं0 65 में मनसिद मुण्डा पिता मतियस मुण्डा खाता सं0 55 दर्ज है। जमाबंदी बिना आधार का दर्ज है। भूदान पंजी में मनसिद मुण्डा पिता मतियस मुण्डा दर्ज है। आवेदित भूमि पर लगभग 45 वर्षों से अधिक समय से दखल-कब्जा है चॅकि सर्वे खतियान के खाता सं0 55 में प्लॉट सं0 1748 दर्ज नहीं है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं0 55 शेष प्लॉट सं0 1780 एवं 1778 रकबा क्रमशः 0.44 एवं 0.78 एकड़ कुल रकबा 1.12 एकड़ भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित संशोधित। <u>अंचल अधिकारी कर्ता।</u></p> <p><u>अंचल अधिकारी कर्ता।</u></p>	